डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 जुलाई, 2021, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2021

| वर्ष 65 | अंक 3 | भोपाल | 1 जुलाई, 2021 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश ने एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का नया रिकार्ड बनाया ● म.प्र. का रिकार्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल

जीवन सुरक्षा के महाअभियान को जन-भागीदारी से मिली अपार सफलता : मुख्यमंत्री श्री चौहान

उत्साहपूर्ण वातावरण में हुआ टीकाकरण महाअभियान ● निर्धारित लक्ष्य से मिली अधिक सफलता

भोपाल। मध्यप्रदेश में सभी जिलों में एक साथ टीकाकरण महाअभियान उत्साहपूर्ण वातावरण में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया जिले में माँ पीताम्बरा के दर्शन कर ग्राम परासरी में टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया और आमजन से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मौके पर आमजन को वैक्सीन के लिये प्रेरित कर शपथ भी दिलवाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान के लगातार प्रयासों और प्रदेश के जन–भागीदारी मॉडल को अपना कर टीकाकरण महाअभियान को अपार सफलता मिली। महाअभियान के पहले दिन वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक सफलता अर्जित हुई। एक दिन में 15 लाख से

ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाकर देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आज देश में हुए कुल टीकाकरण का लगभग 20 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और उनके द्वारा राज्यों को निःशुल्क वैक्सीन देने के निर्णय से टीकाकरण महाअभियान सफल हुआ है। वैक्सीनेशन के मामले मे मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से अव्वल रहा है। सभी को धन्यवाद।

मुख्यमंत्री श्री चौहान भी बने प्रेरक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया जिले के ग्राम परासरी, भोपाल के अन्नानगर और सिहोर जिले के पिपलानी गाँव में टीकाकरण महाअभियान का आगाज करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिये यह महाअभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड–19 को हराने और सभी को सुरक्षित करने के लिये वैक्सीन रामबाण है। सभी लोगों को वैक्सीन लगे, इसके लिये समाज के सभी वर्गों को इस महाअभियान से जोड़ा गया है। सभी के प्रयासों से वैक्सीनेशन के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह काफी उत्साहजनक हैं। इसकी सफलता के पीछे सभी वर्गों का सहयोग शामिल है, जिन्होंने प्रेरक बनकर महाअभियान में भागीदारी सुनिश्चित की।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

राज्य संघ ने ई-ऑफिस की ओर बढाएं कदम

भोपाल। वर्तमान डिजिटि–लाइजेशन युग में विशेषकर कोरोना महामारी के परिपेक्ष्य में राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ई–ऑफिस प्रणाली से युक्त करने का कार्य प्रारंभ किया है। इस प्रकिया की प्रथम कडी में संघ मुख्यालय से ई–आफिस की शुरूआत दिनांक 18.06.2021 को की गई। इस प्रकार ई–ऑफिस प्रणाली क्रियान्वित करने में म.प्र. राज्य सहकारी संघ प्रदेश की पहली सहकारी संस्था बन गई है।

राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकारी (अति. मुख्य सचिव, सहकारिता) के मागदर्शन में ई–ऑफिस की स्थापना संबंधी कार्यवाही की गई जिससे कार्य निष्पादन में पारदर्शिता आने के साथ–साथ ऑफिस कार्यो में गति मिलेगी।

ई–ऑफिस प्रकिया के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए श्री संजय सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के द्वारा बताया गया कि, संघ के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस नई पद्धति को अपनाने के लिए सहज रूप से तैयार है। नई पद्धति को अपनाने के पश्चात् लंबित ऑफिस कार्यो को निपटानें में तीव्रता आएगी। इससे विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता सुदृढ होगी। ऑफिस ई–प्रणाली के संचालन हेतु संघ आवश्यक उपकरणों यथा कम्प्यूटर, स्कैनर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेगा।

संघ के सभी प्रशिक्षण केन्द्र में ई–ऑफिस व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रबंध संचालक के निर्देशानुसार श्री देवेन्द्र तिवारी, एन.आई.सी. द्वारा आयोजित कार्यशाला के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

3 जुलाई 2021 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मुख्यालय भोपाल में 3 जुलाई 2021 को माह के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जायेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा निर्धारित केन्द्रीय विषय ''सहकारिता के माध्यम से बेहतर पुनर्निर्माण'' पर आधारित रहेगा। इस अवसर पर राज्य सहकारी संघ के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के परिसरों में वृक्षारोपण किया जायेगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन

म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम में संशोधन किये गये है यह मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021 में प्रकाशित किये गये है। राजपत्र ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जा रहा है।

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2021

क्र. 5134–175–इक्कीस–अ(प्रा.).–मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतत्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर.पी. गुप्ता, अवर सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 11 सन् 2021
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2021

विषय – सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
2. धारा 48–क का संशोधन.
3. धारा 49 का संशोधन.
4. धारा 52 का संशोधन.
5. धारा 53 का संशोधन.
6. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक 11 सन् 2021
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2021

[दिनांक 2 अप्रेल 2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 3 अप्रेल 2021 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम,2021 है.

(2) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 48–क का संशोधन

2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961)(जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 48–क में, उपधारा (4) में,–

(एक) खण्ड (क) में, शब्द ''संसद या विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है या'' का लोप किया जाए.

(दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

धारा 49 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (7–क) में, खण्ड (ख) में, प्रथम परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''परन्तु यह ओर कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक हैं, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थातः–

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहं हों,

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि,

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''

धारा 52 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (5) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''(क) सहकारी साख संरचना में राज्य सरकार की अंशपूंजी के लिये अधिकतम सीमा ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए.''

5. मूल अधिनियम की धारा 53 में, –

(एक) उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सेसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक हैं, तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहं हों,

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि,

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''

(दो) उपधारा (12) में, प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

''परन्तु यह और किसी शीर्ष अथवा केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में, यदि रजिस्ट्रार की राय में, प्रशासक को उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए समिति गठित की जाना आवश्यक है, तो रजिस्ट्रार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) उक्त सोसाइटी के अधिकतम तीन सदस्य जो सोसाइटी के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहं हों,

(ख) रजिस्ट्रार का एक प्रतिनिधि,

(ग) वित्तपोषक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि.''

6. (1) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति**

(2) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रेल 2021

क्रमांक 5134–175–इक्कीस–अ(प्रा.).–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
आर.पी. गुप्ता, अवर सचिव

दुकानविहीन गांवों में उचित मूल्य दुकान के लिये आवेदन अब 5 जुलाई तक कर सकते हैं

उज्जैन। राज्य शासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानविहीन ग्राम पंचायतों की सूची एवं दुकान प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी की गई है। उक्त प्रक्रिया वेब साइट www.food.mp.gov.in पर जाकर देखी जा सकती है। आवेदन करने वाली पात्र संस्थाओं से उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु आवेदन–पत्र विगत 24 जून तक आमंत्रित किये गये थे। अब आवेदन करने की समय–सीमा बढ़ाते हुए अन्तिम तिथि 5 जुलाई कर दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री मोहन मारू ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में उज्जैन ग्रामीण में 8, बड़नगर में 6 व घट्टिया में 13 शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोली जाना है, जिनके लिये आवेदन किये जा सकते हैं।

दिल्ली में कृषि मंत्री तोमर और एम एस एम ई मंत्री श्री सखलेचा के समक्ष हुआ प्रजेन्टेशन

मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर की तैयारी ● बड़ी संख्या में रोजगार की सम्भावना

भोपाल। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और क्षेत्रीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा की पहल पर मुरैना में फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना के सिलसिले में कृषि भवन, नई दिल्ली में संबंधित अधिकारियों और निवेशकों के बीच हुई बैठक में सकारात्मक माहौल बना है।

बैठक व प्रजेन्टेशन के दौरान फर्नीचर उद्योग से जुड़े निवेशकों ने संतोष जताया और निवेश के लिए उत्साहित भी दिखे। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने इसी महीने के प्रारंभ में नए नियम जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत क्लस्टर्स के लिए राज्य शासन द्वारा रियायती दर पर जमीन आवंटित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने इसी तारतम्य में अधिकारियों से चर्चा कर प्रस्ताव दिया है कि मुरैना में फर्नीचर उद्योग विकसित करने

की संभावनाएँ तलाशी जाएं। श्री तोमर की पहल पर मुरैना के जिलाधिकारियों तथा राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों ने एक प्रजेन्टेशन दिया।

मुरैना जिले में आरक्षित वन क्षेत्र 50,669 हेक्टेयर तथा संरक्षित वन 26,847 हेक्टेयर हैं, जो ज्यादातर सबलगढ़ व जौरा ब्लाक में है। जिले में मुख्यतः सागौन, शीशम, नीम, पीपल, बांस, साल, बबूल, हर्रा, पलाश, तेंदू के वृक्ष के वन है। इनमें से मुख्यतः शीशम, सागौन, साल की लकड़ियां भी फर्नीचर में उपयोग होती हैं, वहीं फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों में देवदार व कठल भी हैं, जो मध्यप्रदेश में बहुतायत में पाई जाती हैं और फर्नीचर उद्योग के विकास में बहुत उपयोगी है। वर्तमान में मुरैना जिले में उत्पादित लकड़ियों का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश व राजस्थान के फर्नीचर निर्माताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में फर्नीचर की काफी मांग है, लेकिन इसे बनाने वाले उद्योग व कारीगरों की कमी महसूस होती है।

केंद्रीय मंत्री श्री तोमर का कहना है कि मुरैना की लकड़ियों से जिले में ही फर्नीचर बनाया जाएगा तो यहां उद्योग विकसित होने के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही जिले की अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो सकेगी। मुरैना में फर्नीचर बनने से मध्यप्रदेश सहित आसपास के जिलों में इसका विक्रय हो सकेगा, जिससे सभी स्थानों के लोगों को काफी सहूलियत व फायदा होगा।

बैठक में श्री सखलेचा ने कहा कि राज्य शासन की ओर से इस पहल पर पूरा सहयोग किया जाएगा, वहीं फर्नीचर उद्योग से जुड़े निवेशकों ने भी काफी उत्साह दिखाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने तत्परतापूर्वक इस दिशा में पहल की है।

राज्य सरकार की नीतियाँ भी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली हैं। निवेशकों द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही मुरैना का दौरा कर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने इस पहल के लिए श्री तोमर और एम एस एम ई मंत्री श्री सखलेचा का आभार माना। बैठक में म.प्र. लघु उद्योग निगम के महाप्रबंधक श्री बी.एन. तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सरकार बिना भेदभाव के हर बस्ती का विकास कर रही है - राज्य मंत्री

भोपाल। मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का हक है। प्रदेश सरकार इसी सोच के साथ और बिना किसी भेदभाव के हर नगर, गाँव और बस्ती में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने शनिवार को ग्वालियर शहर के सालूपुरा कॉलोनी और सिकरौदी में विकास कार्यों के भूमि–पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने की।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कुशवाह ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल बस्ती सालूपुरा कॉलोनी तक लगभग 68 लाख 61 हजार रूपए की लागत से डामरीकृत

सड़क मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से बनने जा रही है। उन्होंने इस मौके पर लगभग 44 लाख 27 हजार रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कुशवाह एवं सांसद श्री शेजवलकर ने इस अवसर पर संयुक्त रूप से आह्वान किया कि कोरोना को हराने के लिए सभी का टीकाकरण जरूरी है। इसलिए सभी लोग अनिवार्यतः वैक्सीन लगवाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को भी निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया है। आप सब लोग भी इसमें सहभागी बनें और सभी को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।

सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ भदौरिया ने 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' की दी बधाई

भिण्ड। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि हमारे देश में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को शुद्ध एवं निरोगी रखने के लिए ऋषियों ने योग पद्धति का सूत्रपात किया, योग हमारे देश में हजारों साल पहले से अपनाया गया। यह हमारे देश की जीवन जीने की एक प्रचीन परंपरा है। योग मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करताहै। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के अथक प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित किया है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द्र सिंह भदौरिया ने कहा कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व के अधिकांश देशों के नागरिको ने अपने आप को स्वस्थ्य बनाए रखने के लिए योग को अपनाया है। सहकारिता मंत्री डॉ अरविन्द्र सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ किया है। इस महाभियान के लिए प्रदेश में 7 हजार टीकाकरण केन्द्र बनाये गये है। लोकसेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देना है। अभी हम कोरोना की भयावह महामारी के दौर से गुजरे इसमें हम सभी ने अपनो को खोया है। कोरोना महामारी का एक मात्र बचाव है कोरोना का टीका। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी प्रदेश वासियों को शीघ्र टीका लगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार का कोई अभियान बिना जनता के जुड़े सफल नहीं होता है। प्रदेश का प्रत्येक जिला प्रत्येक शहर, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक गांव के रहवासियों की इसमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम खुद भी टीका लगवाये एवं पड़ोसी को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें।

सर्व संसाधन युक्त 9200 विद्यालयों के लिए 6952 करोड़ रुपये की सहमति

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि–परिषद ने प्रदेश में सर्व संसाधन युक्त विद्यालयों के लिए 6952 करोड़ रूपये की सहमति दी। इन विद्यालयों का उद्देश्य यह है कि लगभग प्रत्येक बसाहट के 15 किलामीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध हो ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सके।

प्रदेश में कुल 9200 विद्यालयों को सर्व संसाधन युक्त विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। जिसमें से प्रथम चरण में 350 (254 स्कूल शिक्षा विभाग एवं 96 आदिम जाति कल्याण विभाग के विद्यालय) विद्यालयों को तीन वर्ष में तथा शेष 8850 विद्यालयों को आगामी वर्षो में सभी 9200 विद्यालयों को सर्व संसाधन सम्पन्न बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम चरण में प्रत्येक जिला स्तर पर एक विद्यालय (52 विद्यालय), जिला मुख्यालय वाले विकासखंड को छोड़कर अन्य सभी विकासखंड स्तर पर एक विद्यालय (261 विद्यालय) तथा बड़े नगरों एवं सुविधाविहीन स्थानों में 37 विद्यालय स्थापित किए जाएँगे।

पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 वीं तक संचालित होने वाले इन विद्यालयों में सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना, गुणवत्ता युक्त स्मार्ट कक्षाएँ सभी प्रकार की प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कला, संगीत, खेलकूद एवं परिवहन सुविधा इत्यादि की व्यवस्था रहेगी।

300 करोड़ रूपये हस्तांतरण की मंजूरी

मंत्रि–परिषद ने निर्णय लिया कि नर्मदा घाटी विकास विभाग को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के लिए आवंटित राशि 300 करोड़ रूपये को नर्मदा बेसिन प्रोजक्ट्स कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाए।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पदों की स्वीकृति

मंत्रि–परिषद ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के 33 रिक्त पदों को समर्पित कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालन के लिये जिला लोक अभियोजन अधिकारी (सातवें वेतनमान अनुसार 56100–177500) के 33 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी।

खनिज विभाग

कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसके फलस्वरूप रेत खदानों के संचालन में वैधानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होने से बाजार में रेत खनिज की मांग उतनी नही है, जितनी की नीलामी के समय संभावना थी।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार) नियम, 2019 के अंतर्गत रेत खनिज के स्वीकृत ठेकों को कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत रेत खदानों के सुचारू संचालन के लिए निविदाकारों को राहत देने के उद्देश्य से मंत्रि–परिषद द्वारा विभिन्न निर्णय लिये गये। इसके अंतर्गत रेत समूह के ठेकेदारों द्वारा माह मई से सितंबर 2021 की मासिक देय किश्त राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान माह के प्रथम दिवस में देय होगा।

माह मई 2021 में उपरोक्त जमा राशि की मात्रा एवं पूर्व में उपलब्ध स्टॉक से अधिक मात्रा की रेत विक्रय करने की स्थिति में ठेकेदार को माह मई 2021 की जमा किश्त राशि से अधिक विक्रित मात्रा की राशि माह जून, 2021 के प्रथम दिवस को (पे एस यू गो) के सिद्वान्त के आधार पर जमा कराई जाए। माह के लिए जमा की जाने वाली कुल राशि मासिक देय किश्त से अधिक नहीं होगी। यही प्रक्रिया आगामी माहों के लिये भी लागू होगी। शेष राशि को बिना ब्याज के विलम्बित किया जाएगा।

जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून,2023 तक अनुबंधित हैं, उनसे विहित प्रावधानानुसार विलम्बित राशि की वसूली 1 अप्रैल 2022 से तिमाही किश्त के रूप में पाँच समान किश्तों में वसूल की जाएगी। जिन रेत समूहों के ठेके 30 जून 2022 को समाप्त हो रहे है, वे मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के परिपत्र 26 मई 2020 के अनुसार 30 जून 2023 तक ठेका वृद्वि प्राप्त करने का विकल्प 31 जुलाई 2021 तक प्राप्त कर सकेंगे।

जिन ठेकेदारों द्वारा ठेका वृद्वि का विकल्प नहीं चुना जाता, उन्हें विहित प्रावधान अनुसार विलंबित राशि का भुगतान 1 जनवरी 2022 से 6 समान मासिक किश्तों में करना होगा।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 10 के प्रावधान अनुसार रेत वर्ष 2021–22 के लिये एक जुलाई 2021 को लगने वाली 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि को बिना ब्याज के विलंबित किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2022 को मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 10 के प्रावधान अनुसार रेत वर्ष 2022–23 के लिये 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्वि लागू होगी।

इस विलंबित राशि की वसूली 30 जून 2022/30 जून 2023 को प्रचलित दर पर, समानुपातिक रूप से अनुबंधित अवधि की समाप्ति के बाद, रेत ठेका दिवस में वृद्वि कर की जाये। इस राशि की मात्रा रेत ठेकेदार को अतिरिक्त रूप से ठेका अवधि के अंतिम वर्ष में, वैधानिक स्वीकृतियों के अधीन, भुगतान करने पर उठाव के लिए उपलब्ध होगी।

ठेकेदार को उपरोक्त अनुसार बढ़ी हुई अवधि के लिये 30 सिंतबर 2021 तक पूरक अनुबंध का निष्पादन करना होगा। इस नियत अवधि में पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार उपरोक्त लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 10 (2) एवं खनिज साधन विभाग के परिपत्र 31 दिसम्बर 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए रेत ठेकेदार माह के लिये देय किश्त का आंशिक भुगतान, जो न्यूनतम 25 प्रतिशत होगा, माह में कर सकेंगे। इस राशि की समानुपातिक रेत मात्रा भी ठेकेदार को उठाव के लिए जारी की जावेगी। किन्तु ठेकेदार को माह की देय शेष किश्त की राशि एवं अन्य शोध्यों का भुगतान अनिवार्य रूप से उसी माह में (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 13 (2) में निर्धारित ठेका अनुबंध में विहित प्रावधानों अनुसार करना होगा।

जिन ठेकेदारों द्वारा माह मई, 2021 की सम्पूर्ण किश्त राशि जमा कर दी गई है उस राशि को उपरोक्तानुसार समायोजित किया जायेगा। यह लाभ, केवल उन्हीं ठेकेदारों को दिया जाएगा, जिनके द्वारा अप्रैल 2021 तक की सम्पूर्ण देय बकाया राशि/किश्तों का भुगतान किया गया है एवं उनके द्वारा इस राहत को प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान कर दी जाती है।

शासन के उपरोक्त निर्णय से रेत खदानों के संचालन में सुविधा होगी तथा प्रदेश का राजस्व हित भी प्रभावित नही होगा।

अन्य निर्णय

मंत्रि–परिषद ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान मैट्रिक्स–15 (182200–224100) में 6 पदों को अस्थाई रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिये निर्मित करने के मुख्यमंत्री के आदेश 29 दिसम्बर 2020 को एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी आदेश 30 दिसम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया।

उर्वरक बैग, बीज एवं कीटनाशक की अच्छी तरह से जांच-परख के बाद ही क्रय करें किसान

सतना। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के समस्त कृषकों से अपील की गई है कि वे सहकारी समितियों विपणन केन्द्रों, निजी विक्रेताओं से उर्वरक, कीटनाशक, बीज खरीदते समय यूरिया, डीएपी एवं सुपर फास्फेट उर्वरक बैग, बीज एवं कीटनाशक की अच्छी तरह से जांच–परख करने के बाद ही क्रय करें। क्रय किये गये उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज का पक्का बिल दुकानदार से प्राप्त करें। बिल में दर्शाई गई कीमत से अधिक भुगतान न करें। बिना लायसेंस की दुकानों से कोई भी सामग्री क्रय नही करें। पंजीकृत उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रेताओं से ही कृषि आदान सामग्री खरींदे। यदि कृषि आदान सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका होती है अथवा दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक कीमत मांगता है तो किसान निडर होकर बिना किसी संकोच के अपने विकासखंड अंतर्गत आने वाले कृषि विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर सूचित कर सकते है।

धान मिलर्स को आनुपातिक आधार पर दी जाएगी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि-खाद्य मंत्री

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन के लिए वर्ष 2020–21 में किसानों से 37 लाख 26 हजार मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। धान मिलिंग के लिए मिलर्स को धान की आनुपातिक दर के आधार पर प्रोत्साहन राशि के अलावा पृथक से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जायेगा। मिलर्स को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार आनुपातिक आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का निर्धारण किया गया है। ऐसे मिलर्स जो 50 रूपये प्रति क्विंटल पर मिलिंग करना चाहते हैं तो वे सीएमआर की संपूर्ण मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करायें। इसी प्रकार मिलिंग का अनुपात 80 प्रतिशत नागरिक आपूर्ति एवं 20 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर परिदान की सहमति पर प्रोत्साहन राशि की दर 50 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 50 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि के रूप में निर्धारित की गई है।

इसके अलावा 40 प्रतिशत नागरिक आपूर्ति निगम एवं 60 प्रतिशत एफसीआई के मिलिंग अनुपात पर परिदान किए जाने पर 50 रूपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 150 रूपये प्रति क्विंटल दी जाएगी। भारतीय खाद्य निगम को शत–प्रतिशत परिदान किए जाने पर प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 200 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदान की जाएगी।

श्री किदवई ने बताया कि विभिन्न विकल्पों के अनुसार मिलिंग की अपग्रेडेशन राशि केवल वर्ष 2020–21 में धान की मिलिंग के लिए मान्य होगी। आगामी खरीफ विपणन वर्षो में प्रोत्साहन राशि 50 रूपये ही मान्य होगी।

सीमावर्ती राज्यों के मिलर्स भी कर सकेंगे मिलिंग

श्री किदवई ने बताया कि मध्यप्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के मिलर्स यदि मध्यप्रदेश की धान की मिलिंग प्रदेश की चावल परिदान की शर्तो, दरों एवं जिले के अंदर औसत परिवहन हेतु मान्य व्यय के आधार पर सहमत हों तो उनसे भी धान की मिलिंग कराई जा सकेगी।

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि वर्ष 2020–21 में जिलों में भण्डारित धान की मिलिंग के लिए जिन निविदाकारों ने 2:3 के अनुपात में मिलिंग की प्रस्तावित दर 200 रूपये से कम भरी हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात

मूंग उपार्जन का लक्ष्य 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ाये जाने की मांग की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान–कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रावधान के अनुसार खरीदी करने के लिए प्रदेश के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित लक्ष्य जारी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 विपणन के लिए प्रदेश के लिए मूंग का 34 हजार 20 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और मूल्य स्थिरीकरण कोष से मूंग फसल का एक लाख मीट्रिक टन लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्रदेश को कुल 1.34 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का 6.56 लाख मीट्रिक टन और उड़द का 0.49 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आग्रह किया कि खाद्य सुरक्षा के लिए दलहन के क्षेत्र में वृद्धि तथा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि मूंग उपार्जन का लक्ष्य 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया जाय। योजना के प्रावधानों के अनुसार खरीदी नहीं होने से किसानों में असंतोष व्याप्त होगा।

ज्ञात हो कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का 2.41 लाख किसानों द्वारा 6.84 लाख हेक्टेयर का पंजीयन किया जा चुका है।

केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

मत्स्य पालन के साथ जैविक सब्जियों की अनूठी खेती

बिहार के सहरसा देश का पहला जिला बन गया है, जहां तालाब में मछली और ऊपर जैविक सब्जी का उत्पादन शुरू किया गया है, जहां तालाब में मछली और ऊपर जैविक सब्जी का उत्पादन शुरू किया गया है। सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के बनगांव और नवहटा के रमोती गांव में तालाब में 200–200 लीटर के आठ–आठ ड्रम लगाकर ऊपर नावनुमा बांस का मचान तैयार करके सब्जी उगाने की व्यवस्था की गई है। धूप और पानी में बर्बाद नहीं होने वाले ग्रो बैग में वर्मीकम्पोस्ट, नारियल के रेशे, लकड़ी का बुरादा जैसी सामग्रियों का उपयोग सब्जी उत्पादन के लिए किया गया है। इसमें मृदा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं डाली गई है और न ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से सब्जी उत्पादन की वैकल्पिक व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि बाढ़ के दौरान भी सब्जियों की उपज होती रहे और किसानों को खाने के लिए सब्जी मिलती रहे। शेष सब्जी को किसान बाजार में बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा 25–25 की संख्या में चयनित किसानों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सब्जी और मछली उत्पादन के लिए अनुदान दिया गया है। यह विधि किसानों को हाइड्रोपोनिक खेती और मत्स्य पालन में आपदा तथा जलवायु परिवर्तन के दौरान एक अनुकूली कदम के रूप में प्रशिक्षित करती है। मत्स्य पालन और सब्जी उत्पादन का यह तरीका खाद्य सुरक्षा, स्थाई आजीविका और वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने की अपील

रायसेन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के हित में संचालित बेहतरीन योजना है। इसके माध्यम से सरकार किसानों की मदद करती है, जिससे किसानों को फसल बोनी व अन्य कृषि कार्य हेतु राशि की व्यवस्था हेतु भारी ब्याज नहीं देना पड़े और ना ही अपनी भूमि किसी साहूकार के पास गिरवी रखना पड़े। इस योजना को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य की आवश्यकता जैसे, बीज, उर्वरक की खरीदी, भूमि की जुताई, फसल बुवाई, सिंचाई, कटाई, फसलों को वेयर हाउस में रखने का खर्चा, कृषि यंत्र क्रय आदि विभिन्न कार्य हेतु लघु अवधि धन राशि की व्यवस्था करना है। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु किसान भाई अपनी नजदीकी शाखा में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भू–अभिलेख, परिचय पत्र, पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ आदि ले जायें और किसान क्रेडिट कार्ड की राशि, लिमिट का निर्धारण किसान द्वारा बोई गई फसल के ऋणमान के द्वारा निर्धारण किया जायेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता से किसान भाई फसल, पशुधन, कृषि यंत्रों हेतु ऋण ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्षों के लिये वैद्य होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ अवश्य लें।

(पृष्ठ 1 का शेष)

राज्य संघ ने ई-ऑफिस की ओर बढाएं कदम

श्री देवेन्द्र तिवारी एन.आई.सी. अधिकारी द्वारा ई–ऑफिस प्रणाली को वर्ष 2009 से प्रारंभ होना बताते हुए ई–ऑफिस सिस्टम से कार्यो में पारदर्शिता और समय से फाइलों का निपटारा होने में सुविधा होगी। समस्त डेटा कलेक्ट रहेगा और फाइल के जलने या खराब होने पर डेटा गायब होने की परेशानी नहीं आयेगी। कम्प्यूटर पर ही फाइल के स्टेट्स अपडेट होंगे और हर फाइल का ऑनलाइन निपटारा होगा। कम्प्यूटर पर तैयार फाइल पर अधिकारी के हस्ताक्षर डिजिटल होंगे। कम्प्यूटरीकृत कार्य से समय की भी बचत होगी।

श्री देवेन्द्र तिवारी ने प्रशिक्षण के दौरान डायरी बनाना, फाइल बनाना, डिस्पेच करना, डिजिटल हस्ताक्षर, गैर संस्था से संवाद आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उनके द्वारा अपने उद्बोधन में अवगत कराया कि ई–ऑफिस एक एकीकृत फाइल और रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली है जो आंतरिक डाटा के सुगम उपयोग के समय सामग्री प्रबंधन को सरल बनाता है। यह एप्लीकेशन फाइल की ट्रेकिंग और अभिलेखकीय डेटा को आसानी से उपलब्ध कराता है। सिस्टम और डाटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखता है। ई–ऑफिस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेपर लेस व्यवस्था बनाना एवं वेस्ट पेपर से पर्यावरण को हो रहा नुकसान को बचाना है। संघ प्रशिक्षण/कार्यशाला में संघ के प्रबंध संचालक, श्री ऋतुराज रंजन ने अवगत कराया कि प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत छः प्रमुख सहकारी संस्थाओं को ई–ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने हेतु शासन से निर्देश प्राप्त हुए है। अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तीव्र गति से ई–ऑफिस प्रणाली को संचालित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि शासन की मंशा एवं समय की मांग अनुसार राज्य सहकारी संघ का विशेष योगदान बना रहे।

प्रबंध संचालक ने संघ अंतर्गत ई–ऑफिस क्रियान्वित कराने में प्राधिकृत अधिकारी के साथ म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं एन.आई.सी. का आभार व्यक्त किया।

किसान मित्र की आयु अब न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित

विदिशा। आत्मा योजना अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कृषि मित्र का चयन किया जाना है। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रावधान अनुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवन्त संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्राम पर एक कृषक मित्र का चयन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। जारी निर्देशानुसार कृषक मित्र की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक चाही गई थी। जिसमें संशोधन कर अब किसान मित्र की न्यूनतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

जीवन सुरक्षा के महाअभियान को....

कोरोना अभी गया नहीं है सजग रहे

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, अतः सतर्कता और सजगता निरन्तर बनाये रखे। कोरोना रूपी संकट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हमारी प्राथमिकता कोरोना पर विजय प्राप्त करना है। कोरोना बहरूपिया है, जो अपना रूप बदलता रहता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमने कोरोना काल में अपनों को खोया है, इसलिये हमारा सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि ऐसा समय दोबारा न आये। सभी लोग वैक्सीन लगवा कर कोरोना संक्रमण से सुरक्षित हो।

टीकाकरण केन्द्रों पर उत्सव जैसा माहौल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण महाअभियान में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रदेश के 52 जिलों में 7000 टीकाकरण केन्द्र बनाये गये हैं। सभी केन्द्रों पर उत्सव जैसा माहौल बनाया जाकर टीका लगवाने आये व्यक्ति का स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा के लिये सभी लोग स्व–प्रेरणा से आगे आये और महाअभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने जन–प्रतिनिधियों सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों, धर्मगुरूओं, साहित्यकारों, बुद्धि–जीवियों और गणमान्य नागरिकों का धन्यवाद भी ज्ञापित किया, जिनके प्रयासों ने वैक्सीनेशन कार्य को गति प्रदान की।

स्वागत कर दिलवाई शपथ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महाअभियान में वैक्सीन सेंटर पर आये लोगों को प्रेरक बनने की शपथ भी दिलवाई। साथ ही अभियान में प्रेरक की सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाल प्रेरकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण अभियान अभी जारी रहेगा, जिन लोगों ने आज वैक्सीन का सुरक्षा कवच लिया है ऐसे सभी लोग अपने–अपने क्षेत्र में टीकाकरण के लिये प्रेरक बने। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी लोगों को निर्धारित अवधि में वैक्सीनेट कर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनायें।

बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण महाअभियान में लक्षित समूह को वैक्सीन लगाने की सभी केन्द्रों पर माकूल व्यवस्थायें की गई हैं। इसके साथ ही विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिये स्थानीय प्रशासन द्वारा केन्द्र पर लाने और ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की गई। प्रशासन से मिले सहयोग के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग जनों ने वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक होकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये वैक्सीन लगवाई है। अनेक क्षेत्रों में बुजुर्गों और दिव्यांग जनों ने प्रेरक की भूमिका अदा कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिये प्रेरित भी किया। सम्पूर्ण प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान में जो सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ है, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी अहम रही है।

प्रत्येक केन्द्र पर प्रेरक

टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिये स्थापित किये गये वैक्सीन सेंटर्स पर माकूल व्यवस्थाओं के साथ प्रत्येक केन्द्र पर एक प्रेरक नियुक्त किया गया। स्वयं मुख्यमंत्री सहित मंत्रि–परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के जन–प्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य सहित धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ता सहित विभिन्न वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों ने प्रेरक की भूमिका निभाई।

हस्तियों ने बढ़–चढ़ कर किया सहयोग

मुख्यमंत्री श्री चौहान के आव्हान पर प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने भी टीकाकरण महाअभियान मे बढ़–चढ़ कर भाग लिया। इसमें नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी सहित खेल, साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा, कवि, अभिनेता और विभिन्न धर्मों के गुरूओं ने भी वैक्सीनेशन के लिये सोशल मीडिया पर अपील जारी की। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर प्रेरक की भूमिका भी निभाई।

मीडिया ने निभाई सक्रिय भूमिका

टीकाकरण महाअभियान के संदेश को जन–जन तक पहुँचाने और लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिये मीडिया प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों का सहयोग

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिये प्रदेश में बनाई गई जिला, ब्लाक एवं ग्राम और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्यों ने भी महाअभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। समिति के सदस्यों ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन–जागरूकता का काम करते हुए टीकाकरण केन्द्रों पर प्रेरक की भूमिका का निर्वहन भी किया।

म.प्र. का रिकार्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल

मध्यप्रदेश में कोविड–19 के टीकाकरण के महाअभियान में एक दिन में 16 लाख 91 हजार 967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड ने वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल कर लिया है। यह जानकारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को 22 जून को लिखे पुष्टि पत्र में दी है।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड, भारत के प्रेसीडेंट श्री संतोष शुक्ला ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को भेजे पुष्टि पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा टीकाकरण में बनाये गये रिकार्ड को रिकार्ड बुक में शामिल करने पर संस्था को प्रसन्नता है। पुष्टि पत्र में वर्ल्ड रिकार्ड संबंधी प्रमाण–पत्र से सम्मानित करने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की सहमति और दिनांक आदि भेजने के लिये भी अनुरोध किया है।

पत्र में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोविड–19 के टीकाकरण संबंधी कदमों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ भी दी हैं।

निरंतर जारी रहेगा अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से प्रदेशवासियों को बचाने के लिये टीकाकरण महाअभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने निःशुल्क वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की है, उससे न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरा राष्ट्र कोरोना संक्रमण से बच सकेगा। टीकाकरण महाअभियान निरंतर चलेगा। जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा वहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। कोरोना के प्रति जन–जागरूकता पैदा करने के लिये पंजीबद्ध एक लाख से अधिक कोरोना वॉलेंटियर्स महाअभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के लिये गठित मंत्री-समूहों की बैठक में मंथन

भोपाल। टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन और आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के लिये गठित तीन मंत्री–समूहों की संयुक्त बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में मंत्री–समूहों के सदस्यों ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर विभिन्न विषयों पर मंथन किया।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, उद्यानिकी (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, आयुष (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री रामकिशोर कावरे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव वर्चुअली जुड़े। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी और संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. उल्का श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

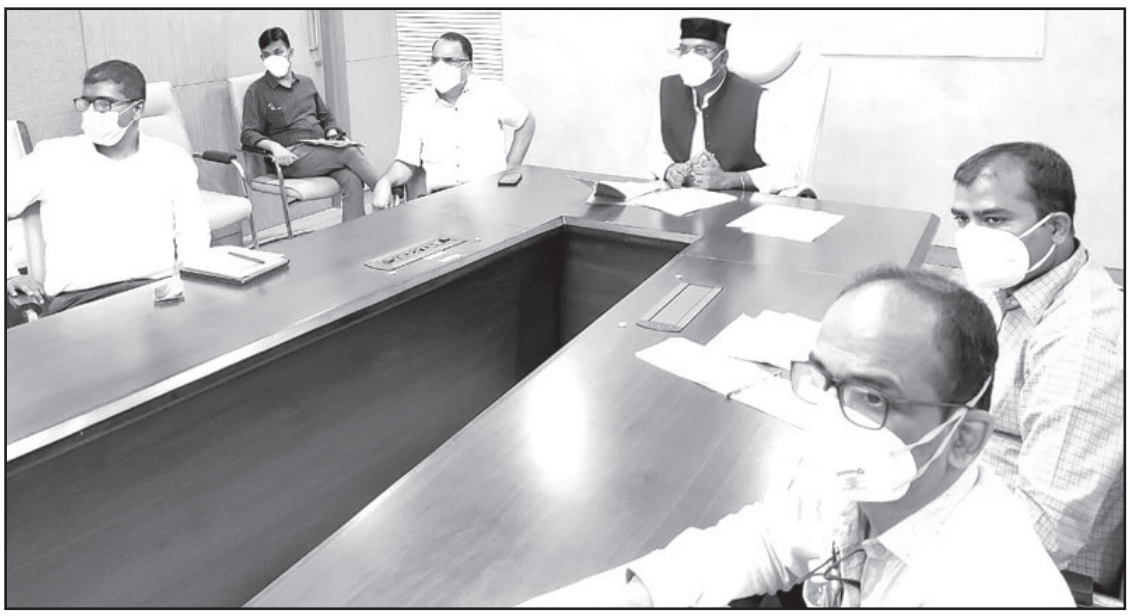

अस्पतालों के प्रबंधन और संसाधनों की उपलब्धता की प्रगति का आंकलन

बैठक में मंत्रियों की विभिन्न अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शासकीय एवं निजी क्षेत्र के अस्पतालों के सुनियोजित प्रबंधन एवं सभी आवश्यक सुविधाओं और संस्थानों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की प्रगति का आंकलन किया गया। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव को रोकने और बचाव की प्लानिंग रिपोर्ट जरूर बनायें। स्टाफ को मोटिवेशन और ट्रेनिंग देने की आवश्यकता बताई गई। बच्चों के साथ अभिभावकों के रहने के लिये स्पेस निर्धारित करने को भी कहा गया। उन्होंने आंकलन के लिये डाटा कलेक्शन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर लगातार मरीजों का ध्यान रखा जाये। दवाओं का आंकलन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में फॉर्मेसी कम्पनियों को प्रमोट करें। सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक प्लेटफार्म पर लाने सिंक्रोनाइज करने के लिये अध्ययन कर प्रयास किये जायें। हर जिले में ऑक्सीजन वाले कम से कम 50 बेड उपलब्ध हों। बैठक में साफ–सफाई व्यवस्था, जिला अस्पताल की प्रबंधन की तैयारी आदि पर चर्चा की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने पर मंथन

राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने सुझाव दिया कि जिला मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 80 प्रतिशत सुविधाएँ देने से जिला अस्पताल पर लोड कम होगा। वेंटिलेटर बेड और सीटी स्केन मशीन के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि समय के साथ स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हो सके, इसके लिये राज्य शासन भरसक प्रयास कर रहा है।

टीकाकरण और स्वास्थ्य अमले की उपलब्धता प्राथमिक लक्ष्य

बैठक में बताया गया कि कॉलेजों में भी कैम्प लगाकर टीकाकरण करवाया जायेगा। लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कर्मचारियों के शत–प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य भी पूर्णता की ओर अग्रेषित है। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। चिन्हांकित 126 टेस्ट की सुविधाएँ हर जिले में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे टेस्ट के लिये सेम्पल बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड की संख्या अब एक करोड़ से बढ़कर लगभग ढाई करोड़ हो गई है।

बैठक में डॉक्टर्स की भर्ती, नर्स, लैब टेक्नीशियन्स की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि 1565 प्रसव केन्द्र क्रियाशील हैं। गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जा रहा है। सभी जिला अस्पतालों में लैब बन गई हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग को दोनों विभाग के मंत्रियों की सहमति से संविलियन के प्रस्ताव को अग्रेषित किया गया है। आदिवासी विकासखण्डों में काम करने वाले डॉक्टरों को इन्सेंटिव देने पर भी विचार किया जा रहा है।

लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति पर चर्चा

बैठक में बताया गया कि टीकाकरण महा–अभियान के प्रथम दो दिवसों में देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन मध्यप्रदेश में हुआ। प्रदेश में इंदौर जिले में सर्वाधिक पात्र हितग्राहियों का वैक्सीनेशन किया गया। नगर पंचायत बुढ़ार में शत–प्रतिशत नागरिकों का पूर्ण टीकाकरण हुआ। जिला सागर के केन्द्रीय जेल के कैदियों का शत–प्रतिशत टीकाकरण हुआ। प्रदेश में उच्च जोखिम वाले समूह का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाया गया है। प्रदेश की 20 ग्राम पंचायतों में शत–प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान के अंतर्गत 42 जिलों में 1200 मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षित किये गये हैं। अगली दो तिमाहियों के लिये पहली और दूसरी खुराक का वर्गवार वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर प्लान प्रदर्शित किया गया। बैठक में जुलाई से दिसम्बर तक लगातार विभिन्न लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति पर चर्चा की गई।

राज्य द्वारा दी जाने वाली मिलिंग राशि में वृद्धि का निर्णय

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय मे मंत्रि–परिषद की बैठक हुई। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में प्रदेश में किसानों से उपार्जित 37 लाख 26 हजार मी.टन धान की मिलिंग के लिए राज्य में मिलिंग की गति में तेजी लाने के लिए तथा इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में मिलिंग की मान्य दर 50 रूपये प्रति क्विंटल के साथ अपग्रेडेशन राशि मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम को चावल परिदान के विभिन्न विकल्पों अनुसार केवल खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 मिलिंग के लिए 50 रूपये से 200 रूपये प्रति क्विंटल तक देने का निर्णय लिया गया। सीमावर्ती राज्य के जिलों से भी इच्छुक मिलर्स से उक्त शर्तों पर मिलिंग कराने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निजी क्षेत्र में धान के उद्योग लगाने तथा इथेनाल बनाने के लिए नीति निर्धारित की जायेगी।

60 करोड़ रूपये राहत राशि वितरण का अनुमोदन

मंत्रि–परिषद ने राज्य शासन समन्वय में मंत्रि–परिषद निर्णय की प्रत्याशा में 26 अप्रैल 2021 को 6 लाख 9 हजार अनुमोदित शहरी पथ विक्रेताओं में से प्रत्येक पथ विक्रेता को कोविड–19 के दौरान आजीविका प्रभावित होने पर 1000 रूपये का अनुदान उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री द्वारा लिये गये निर्णय का अनुसमर्थन किया। प्रदेश के 6 लाख 9 हजार पथ विक्रेताओं का यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट से कार्यालय राहत आयुक्त द्वारा आवंटन आदेश 23 अप्रैल 2021 द्वारा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को 60 करोड़ रूपये बीसीओ कोड में अंतरित की गई राशि से आहरित किया गया।

विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी

मंत्रि–परिषद ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आदेश 17 दिसम्बर 2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को दी गयी सब्सिडी के एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी देने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

'विशेष त्यौहार अग्रिम योजना' एवं 'विशेष नगद पैकेज योजना' का अनुसमर्थन

मंत्रि–परिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए ''विशेष त्यौहार अग्रिम योजना'' एवं ''विशेष नगद पैकेज योजना'' के संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश 28 नवम्बर 2020 एवं 14 दिसम्बर 2020 के अनुसमर्थन का निर्णय लिया गया।

कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश कर रहा है लगातार प्रगति : केन्द्रीय कृषि मंत्री

नेफेड का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल होने से किसानों को मिलेगा लाभ - कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल। केन्द्रीय कृषि एवं किसान–कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है। किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने भारत सरकार द्वारा भोपाल में नेफेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गुरुवार को राष्ट्रीय बीज निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के भवन एवं तीन हजार एम.टी. क्षमता के बीज गोदाम तथा नेफेड के भोपाल कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि म.प्र. कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल दोनों खेती–किसानी से जुड़े हुए हैं। दोनों ही किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम दिलाने तथा कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने के लिये बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। श्री तोमर ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से पहले भी पूरा सहयोग किया गया है और आगे भी पूरी मदद की जाती रहेगी। किसानों की भलाई के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कृत–संकल्पित है और किसानों की मदद करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ेगी।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि मध्यप्रदेश के किसान–कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को पूरा करके दिखाया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज के क्रय से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का प्रदेश को आवश्यकता अनुसार समय–समय पर खाद्य की निरंतर आपूर्ति करने, ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिये आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों से की वन-टू-वन चर्चा

विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की ली जानकारी

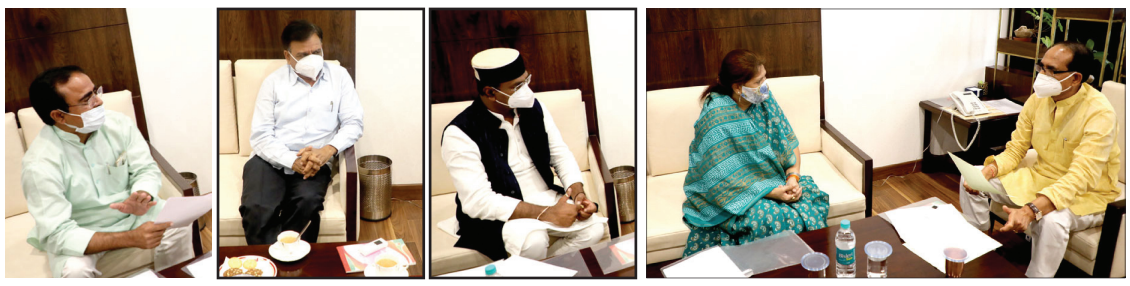

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास सारंग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव से वन–टू–वन चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रियों से विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी ली।

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि कोरोना संकट के कारण प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में राजस्व कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ विस्तार से चर्चा हुई। जी.एस.टी. का संग्रहण बढ़ाए जाने पर भी चर्चा हुई।

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति–जनजाति के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में तेज गति से कार्य को रहा है। इन वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। विभाग के आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप पर निरंतर कार्य किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में पूरी तैयारी की जा रही हैं। स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस संबंध में संस्थागत तैयारी की जा रही है। बेड्स बढ़ाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था, आई.सी.यू., चिल्ड्रन आई.सी.यू. आदि व्यवस्थाओं के साथ ही चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था, उनका प्रशिक्षण तथा वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। श्री सारंग ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में कुछ नए पी.जी. कोर्स लाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर एपिडेमिओलॉजी का एक शोध केन्द्र भी बनाए जाने की योजना है, जो कोविड–19 महामारी आदि का अध्ययन करेगा। महिलाओं में कैंसर की जाँच के लिए अभियान चलाया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी स्मारक बनाने की भी योजना है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ जल पहुँचाने के लक्ष्य को मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 तक ही पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही आत्म–निर्भर मध्यप्रदेश के विभागीय रोडमेप पर तेजी से कार्य किया जाएगा।

विभाग के 20 मॉडल विकासखण्डों से 2 लाख कृषक परिवार होंगे लाभान्वित

भोपाल। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 मॉडल विकासखण्डों को विकसित किया जायेगा। इनके माध्यम से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े 2 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। विभाग में सहायक उद्यानिकी विस्तार अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह गुलाब उद्यान में वर्ष 2017 बैच के नव–नियुक्त अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि विभाग की योजनाओं को नव–नियुक्त अधिकारी अच्छी तरह से समझें। किसानों को योजनाओं की जानकारी से अवगत करायें। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि योजनाओं में लक्ष्यों का निर्धारण किसानों की माँग के अनुसार किया जाये। योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लायें।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।